

सी.जी.-डी.एल.-सा.-27042022-235379 CG-DL-W-27042022-235379

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 15]

नई दिल्ली, अप्रैल 17— अप्रैल 23, 2022, शनिवार/ चैत्र 27—वैशाख 3, 1944

No. 15]

NEW DELHI, APRIL 17—APRIL 23, 2022, SATURDAY/CHAITRA 27-VAISKHA 3, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2022

सा.का.िन. 59.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता, समूह'ख' पद, भर्ती नियम, 2015 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा समाज कल्याण अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, चिकित्सा समाज कल्याण अधिकारी (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि- भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-
 - क. जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - ख. जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों औरअन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	. (5)	(6)
चिकित्सा समाज कल्याण अधिकारी	08* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)	लागू नहीं होता ।	30 वर्ष की आयु से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथानिर्धारित होगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ,	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अईताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धित, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाज कार्य या समाज विज्ञान में बैचलर डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में डिग्री के साथ समाज कार्य में कम से कम एक वर्ष का डिप्लोमा; और (ii) सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्था में चिकित्सा समाज कार्य के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव। या (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाज कार्य या समाज विज्ञान में मास्टर	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये दो वर्ष। टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिये केंद्रीय सरकार द्वारा यथानिर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण करना होगा।	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
डिग्री; और (ii)) सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्थान में चिकित्सा समाज कार्य के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं।			
टिप्पण-2 अनुभव संबंधी अर्हताएं, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी,-	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश	(1) अपर चिकित्सा अधीक्षक,	आवश्यक
पद धारण किए हुए हैं; या	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष;	नहीं हैं।
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 5 (29200-92300 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की	(2) संबंधित विभाग के प्रमुख, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य;	
हो; या	(3) निदेशक (प्रशासन),	
(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो,	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली -सदस्य; (4) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के चिकित्सा अस्पताल अनुभाग के प्रभारी उप निदेशक प्रशासन - सदस्य।	
और		
(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो।		
टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु- सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए.11018/42/2019-एमएच II]

गणेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 20th April, 2022

G.S.R. 59.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital Medical Social Worker , Group 'B' Post Recruitment Rules , 2015 , except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Medical Social Welfare Officer, in the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Medical Social Welfare Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2022.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in pay matrix. The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post	Classification.	1 0	Whether selection post non-selection post.	or
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Medical Social Welfare Officer.	08* (2022) *Subject to variation dependent or workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400 – 112400).	Not applicable.	

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not exceeding thirty years of age.	Essential:
(Relaxable for Government servants up to the age of five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard).	Qualification (a) (i) Bachelor Degree in Social Workor Sociology from a recognised University or Institute or degree in any discipline with at least one year diploma in Social Work from a recognised University or institute; and
Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as prescribed by the Staff Selection Commission.	(ii) Two years' experience in the field of Medical Social work in Government recognised hospital or institution. Or
	(b) (i) Master's Degree in Social Work or recognised University or institute; and
	(ii) One year experience in the field of medical social work in Government recognised hospital or institution.
	Note 1: Qualification are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the competent authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates.

otherwise well qualified.

Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and	Period of probation, if	Method of recruitment, whether by
Educational qualifications	any.	direct recruitment or by promotion
prescribed for direct		or by deputation / absorption and
recruits will apply in the		percentage of the vacancies to be
case of promotees.		filled by various methods.
(8) .	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for direct recruitment.	By deputation failing which by direct Recruitment.
	Note: There shall be a mandatory induction	
	training of at least two weeks duration for	
	successful completion of pzobation as	
	prescribed bythe Central Government.	·

In case of recruitment by Promotion or deputation/absorption, grade from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Officers of the Central Government or State Governments or Union territories, - (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or Department, and (b) possessing educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under	New Delhi -Chairman; (2) Head of the concerned Department, Safdarjung Hospital, New Delhi -Member; (3) Director (Administration), Safdarjung Hospital -Member; (4) Deputy Director administration incharge of Medical Hospital	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Note 1: The Period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

[F. No. A.11018/42/2019-MH-II]
GANESH KUMAR, Under Secy.